**भारत सरकार**
**रक्षा मंत्रालय**
**भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग**
**लोक सभा**
**अतारांकित प्रश्न संख्या 5612**
**04 अप्रैल, 2025 को उत्तर के लिए**

## सेवारत अधिकारियों/पूर्व सैनिकों के विरुद्ध न्यायालयी मुकदमेबाजी

5612. **श्री हैबी ईडनः**

क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) सरकार द्वारा सेवारत अधिकारियों और पूर्व सैनिकों के विरुद्ध विकलांगता पेंशन के संबंध में शुरू किए गए न्यायालयी मुकदमों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने सेवारत अधिकारियों और पूर्व सैनिकों की निःशक्तता पेंशन के संबंध में मुकदमे लड़ने के लिए कोई नीति बनाई है/निर्देश जारी किए हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**उत्तर**
**रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संजय सेठ)**

(क): सरकार ने नि:शक्तता पेंशन के संबंध में सेवारत अधिकारियों और पूर्व सैनिकों के विरुद्ध कोई न्यायालयी मुकदमे दायर नहीं किए हैं।

(ख) और (ग): रक्षा मंत्रालय, अन्य सरकारी विभागों की तरह, निर्धारित प्रक्रिया का अनुसरण करता है, जिसके द्वारा निचले न्यायालय द्वारा पारित निर्णयों, जो सरकारी विनियमों/नीतियों से भिन्न होते हैं, उन्हें विधि कार्य विभाग से उचित परामर्श के बाद अपील की जाती हैं। माननीय सशस्त्र सेना अधिकरण के सभी आदेश, जो सरकारी नीतियों के अनुसरण में दिए गए हैं, को कार्यान्वित किया जाता है। जब आदेश सरकारी नीतियों के अनुसरण में न हों और जब ऐसे आदेशों को माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून के अनुरूप अंतिम रूप न दिया गया हो, तब ऐसी स्थिति से निपटने के लिए सरकार न्यायालय के आदेशों के क्रियान्वयन से पूर्व सभी विधिक सुधारात्मक उपायों का सहारा लेती है।

*****